B.M.A. College Baheri Darbhanga (LNMU)
B.A. (Hons) Part- I Paper- II

Page No. 1
Date 4-07-2020

जल संसाधनों के विकास हेतु प्रयत्न

Dr. S.R. Singh.
Deptt of Economics

(EFFORTS FOR THE DEVELOPMENT OF WATER RESOURCES)

जल संसाधनों के विकास हेतु केंद्रीय सरकार ने निम्न तीन संस्थाओं का गठन किया है:

(1) केन्द्रीय जल आयोग – जल संसाधनों के विकास के लिए केन्द्रीय जल आयोग एक सर्वोच्च तकनीकी संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में सरकार के एक प्रस्ताव से हुई थी। इस आयोग के मुख्य कार्य है जल संसाधन परियोजनाओं के बारे में अन्वेषण करना इन योजनाओं का तकनीकी दृष्टि से मूल्यांकन करना, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट की डिजाइन बनाने तथा बाढ़ नियन्त्रण व पूर्वानुमान में सलाह देना तथा नदी प्रबन्धन व अनुसंधान तथा विकास में सहायता करना जिससे कि राष्ट्रीय जल नीति बनाने में सहायता मिल सके।

(2) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड – यह बोर्ड एक राष्ट्रीय शीर्ष संगठन है, जो 1952 में बनाया गया था, लेकिन 1972 में भारत के भू-गर्भ सर्वेक्षण की भूमिगत जल इकाई (Ground Water Wing) को इसके साथ मिलाकर इसका पुनर्गठन कर दिया था। इस बोर्ड का कार्य भूमिगत जल के सम्बंध में सर्वेक्षण करना, सम्भावनाओं का पता लगाना, मूल्यांकन करना व भूमिगत जल की गुणवत्ता व पट्टी का मॉनीटरिंग करना आदि है।
इस बोर्ड का एक अध्यक्ष है तथा दो सदस्य। इस बोर्ड के देश भर में 18 क्षेत्रीय निदेशालय और 17 डिवीजन कार्यालय है।

(3) राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी – राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी की स्थापना जुलाई 1982 में हुई थी। इसका कार्य नदियों को मिलाकर पानी का सदुपयोग करने की सम्भावनाओं का पता लगाना है जिससे कि पानी के आधिक्य को कमी वाले क्षेत्रों में पहुंचाया जा सके।

कृषि में जल संसाधनों का महत्व

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक लेख में लिखा था कि "सभी गाँवों में सिंचाई सुविधाएँ प्रदान करने से अधिक आवश्यक कोई कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि सिंचाई ही वह आधार है जिस पर खेती कि प्रगति निर्भर करती है।"